

पत्रांक-142(H.S)/2012

बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग ।

प्रेषक,

अमरजीत सिन्हा,  
सरकार के प्रधान सचिव ।

सेवा में,

प्राचार्य /अधीक्षक,  
सभी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल ।

पटना, दिनांक 30 मार्च, 2012

विषय:-चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों के निर्माण एवं रख-रखाव हेतु भवन निर्माण विभाग को सम्पूर्ण दायित्व सौंपने के संबंध में ।

महाशय,

मुख्य सचिव स्तर पर हुई बैठक की कार्यवाही संलग्न है, जिसमें स्पष्ट निर्णय लिया गया है कि चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के संदर्भ में भवनों के अन्दर शौचालय, विद्युतीकरण एवं अन्य निर्माण कार्य का सम्पूर्ण दायित्व भवन निर्माण विभाग का होगा । इस संदर्भ में अनुरोध करना चाहूँगा कि वर्ष 2012-13 की कार्य योजना तैयार करने का कार्य प्रारम्भ करें तथा भवन निर्माण विभाग से पूरा समन्वय कर प्राथमिकता निर्धारित करें । विभाग की इच्छा है कि किसी भी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल में एक भी शौचालय गन्दा या खराब नही हो और इसको सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 2012-13 की कार्य योजना को प्राथमिकता दें ।


वर्ष 2012-13 के कार्य योजना को अंतिम रूप देने के पहले सुनिश्चित करें कि वर्ष 2011-12 की स्वीकृत योजनाओं का कार्यान्वयन संतोषप्रद तरीके से हुआ है । स्वीकृत योजनाओं तथा कुल उपलब्ध राशि विभागवार और भवनवार तैयार कराकर सभी विभागाध्यक्षों को भी दें ताकि उनके पर्यवेक्षण से भी यह सुनिश्चित किया जाय कि निर्माण एवं रख-रखाव कार्य अनुमोदन के अनुरूप किया गया है । भविष्य के लिए इस परिपाटी का पालन हो कि किसी भी निर्माण कार्य की कुल लागत एवं किये गये कार्यों की जानकारी सरल भाषा में सभी विभागाध्यक्षों को दी जाय ताकि उनका भी पर्यवेक्षण बना रहे । Out Sourcing से साफ-सफाई के कार्यों में यह निदेश पूर्व में ही दिया जा चुका है और मुझे विश्वास है कि इसका पालन हो रहा है । हर हालत में विभागाध्यक्षों

(2)

का अनुमोदन Out Sourcing के भुगतान के पूर्व अनिवार्य है । चूँकि ऐसा करने से हर विभाग में सफाई संभव हो सकेगा ।

इसी प्रकार प्रबंधन व्यवस्था को मजबूत करने के क्रम में स्वास्थ्य प्रबंधकों की नियुक्ति भी यथाशीघ्र की जायगी, ताकि निरंतर पर्यवेक्षण तथा स्पष्ट जिम्मेवारियों के निर्धारण से अस्पतालों में सुधार हो ।

विश्वासभाजन,



( अमरजीत सिन्हा )

30/03/2012

दिनांक 16-3-2012 को चिकित्सा महाविद्यालयों में भवन, पानी, तथा बिजली के संबंध में  
हुई बैठक की कार्यवाही ।

आज दिनांक 16-3-2012 को मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में चिकित्सा महाविद्यालयों में भवन, पानी एवं बिजली के कार्यों के रख-रखाव के संबंध में बैठक आयोजित की गयी जिसमें मुख्य सचिव के अतिरिक्त निम्नलिखित पदाधिकारी उपस्थापित थे :-

- 1- श्री अमरजीत सिन्हा, प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग
- 2- श्री एस0 एस0 शर्मा, प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग
- 3- श्री रविन्द्र पवार, प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग
- 4- श्री सुधीर कुमार, प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग
- 5- श्री विभूति कुमार, अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत कार्य प्रमण्डल, पटना ।

प्रारम्भ में मुख्य सचिव को प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिनांक 10 जून, 2011 को तत्कालीन मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में लिये गये निर्णय एवं उसके कार्यान्वयन के संबंध में जानकारी दी गयी । तत्पश्चात् निम्नलिखित निर्णय लिये गये :-


(क) पूर्व में माननीय मुख्य मंत्री के स्तर पर लिये निर्णय के अनुपालन के क्रम में विद्युत तथा लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग से संबंधित भवन के कार्यों का निष्पादन निर्धारित समय सारणी के अन्दर भवन निर्माण विभाग को करना है । 1 मई, 2012 तक विद्युत कार्य तथा 1 जून, 2012 तक लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण का कार्य भवन निर्माण के माध्यम से कराने पर सहमति बनी । ऐसा करना कार्यपालिका नियमावली के अनुरूप है ।

(ख) भवन निर्माण विभाग को परामर्श दिया गया कि आवश्यकतानुसार प्रमण्डलों का सृजन/स्थानान्तरण आदि का प्रस्ताव प्रशासी पद वर्ग समिति के समक्ष लाया जाय ।

(ग) चिकित्सा महाविद्यालयों के संबंध में यह निर्णय लिया गया कि राज्य के सभी चिकित्सा महाविद्यालयों में भवन, पानी, शौचालय तथा बिजली के कार्य एक ही विभाग, भवन निर्माण विभाग के माध्यम से कराया जाय । भवन निर्माण विभाग के संरक्षण में रख-रखाव एवं मरम्मती का कार्य किया जाय ।

(घ) यह भी निर्णय लिया गया सभी चिकित्सा महाविद्यालयों के कनीय अभियंत्रण प्रशासनिक दृष्टिकोण से अस्पताल के अधीक्षक के अधीन भी लाये जाय ताकि अस्पताल प्रशासन तथा तकनीकी विभाग के बीच बेहतर समन्वय संभव हो सके ।


उपर्युक्त निर्णय के साथ बैठक समाप्त हुई ।

  
(अमरजीत सिन्हा)

प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग

ज्ञाप संख्या - 1/चिकित्सा-16/2012-198 (4) पटना, दिनांक 23-मार्च, 2012 ।

प्रतिलिपि मुख्य सचिव, बिहार / प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग / लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग / भवन निर्माण विभाग / अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत कार्य प्रमण्डल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

  
(अमरजीत सिन्हा)  
प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग